जीविका
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

रीना देवी की संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक कहानी
(पृष्ठ – 02)

मंजरी बेगम : स्वरोजगार से प्रगति के पथ पर
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – फरवरी 2026 ॥ अंक – 55

सतत् जीविकोपार्जन योजना से महिलाओं के जीवन में आया व्यापक परिवर्तन

बिहार सरकार की सतत् जीविकोपार्जन योजना अत्यंत निर्धन परिवारों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक स्तर में बड़ा परिवर्तन ला रही है। यह योजना पारंपरिक रूप से देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य लक्षित अत्यंत निर्धन समुदायों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका के माध्यम से लागू यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में स्थापित हुई है।

राज्य में इस योजना के तहत अब तक कुल 2,01,218 अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के 1,51,361 परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 20,407 परिवार, पिछड़ा वर्ग के 16,924 परिवार तथा अन्य वर्गों (अल्पसंख्यक सहित) के 12,526 परिवार शामिल हैं। चयनित परिवारों में से 1,97,234 परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति सृजन हेतु सहयोग प्रदान किया गया है, जबकि सभी चयनित परिवारों का बैंक खाता खुलवाया गया है और 1,91,662 परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 60,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक का निवेश जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर ग्राम संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों से स्थायी संचालन हेतु 7 माह तक 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि भी दी जा रही है। अब तक 1,93,034 परिवारों को यह जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसका उपयोग परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा, इलाज, गृह मरम्मत, आवश्यक घरेलू सामग्री क्रय एवं अन्य जरूरी जरूरतों के लिए किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत महिलाओं को गव्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कृषि आधारित गतिविधियाँ, सिलाई, सब्जी बिक्री, किराना दुकान, जलपान गृह, ठेला–गाड़ी, कपड़ा एवं बर्तन व्यवसाय, अगरबत्ती निर्माण, नीरा व्यवसाय, मधुमक्खी पालन सहित स्थानीय जरूरत और रुचि के अनुसार विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। अब तक 76,884 परिवार गव्य एवं बकरी पालन, 1,18,782 परिवार सूक्ष्म उद्यम तथा 1,568 परिवार कृषि गतिविधियों से जुड़े हैं। योजना के सहयोग से 72,883 परिवारों द्वारा एक से अधिक जीविकोपार्जन गतिविधियाँ भी शुरू की गई हैं, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।

क्षमता निर्माण इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लक्षित परिवारों के चयन के बाद उन्हें जीविका ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 2,00,862 अत्यंत निर्धन परिवारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें 1,55,791 परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा 74,678 परिवारों को पशुपालन, रख–रखाव एवं घरेलू उपचार से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। परिवारों को सतत् सहयोग प्रदान करने के लिए 5,878 मास्टर संसाधन सेवियों का चयन एवं प्रशिक्षित किया गया है, जो नियमित रूप से गृह भ्रमण कर मार्गदर्शन देते हैं।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएँ आयुष्मान योजना, बीमा योजनाओं और पेंशन सुविधाओं से जुड़ी हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है। आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं से जुड़ाव ने उनके जीवन स्तर को और सुदृढ़ किया है।

राज्य सरकार द्वारा 01 दिसंबर 2022 से इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की स्वीकृति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 18,134 अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन किया जा चुका है, जिन्हें प्रति परिवार दो लाख रुपये तक निवेश, अंतराल सहायता राशि, उद्यम संचालन का प्रशिक्षण और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। यह कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से किया जा रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार में अत्यंत निर्धन परिवारों को केवल आजीविका ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी भविष्य की दिशा भी प्रदान कर रही है। यह योजना राज्य को गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की ओर ले जाने वाला एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है। इस योजना की सफलता को देखने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भी ''समावेशी योजना'' लायी जा रही है।

रीना देवी की संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक कहानी

मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड अंतर्गत चोरगाँव पंचायत के माछीडीह गाँव की रहने वाली रीना देवी आज सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। क्रांतिवीर जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रीना देवी का जीवन कभी कठिन संघर्षों से भरा था। उनके पति दीना पासवान आइसक्रीम बेचकर किसी तरह परिवार का पालन–पोषण करते थे। सीमित आमदनी के बावजूद परिवार जैसे–तैसे चल रहा था, लेकिन अचानक पति की गंभीर बीमारी ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। किडनी खराब होने के कारण वह काम करने में असमर्थ हो गए और इलाज का खर्च बढ़ता चला गया। पांच बच्चों की जिम्मेदारी और आय के अभाव ने रीना देवी को गहरे संकट में डाल दिया।

इस कठिन समय में सतत् जीविकोपार्जन योजना रीना देवी के लिए आशा की किरण बनकर आई। असरगंज प्रखंड में चलाए गए चयन अभियान के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन द्वारा उन्हें योजना के अंतर्गत चयनित किया गया। चयन के बाद उन्हें तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्वरोजगार, वित्तीय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गयी। इस प्रशिक्षण ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया।

प्रशिक्षण के पश्चात् रीना देवी ने अपने घर में ही किराना दुकान शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि मिली, जिससे उन्होंने दुकान की बुनियादी व्यवस्था की। इसके बाद ग्राम संगठन से 20,000 रुपये की अतिरिक्त परिसंपत्ति प्राप्त हुई। समूह की दीदियों के सहयोग से उन्होंने आवश्यक सामान खरीदा और दुकान का संचालन शुरू किया।

अब रीना देवी किराना दुकान को सफलतापूर्वक चला रही है। साथ ही उन्होंने बकरी पालन भी शुरू किया है। वर्तमान में उनके पास दो गाय और तीन बकरियाँ हैं। इस संयुक्त प्रयास से वह अपने पति का इलाज, बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। रीना देवी की यह यात्रा बताती है कि सही योजना, सहयोग और दृढ़ संकल्प से कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली मिंता की जिंदगी

मिंता देवी शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखण्ड अंतर्गत बेल्दारीया पांक गाँव की रहने वाली हैं। वह एक साधारण परिवार से आती हैं और अपने पति स्वर्गीय संजय चौहान तथा पाँच बच्चों के साथ सामान्य जीवन जी रही थीं। उनके पति मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करते थे। लेकिन एक रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और पटना ले जाते समय रास्ते में ही उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना ने मिंता देवी के जीवन की दिशा ही बदल दी। पाँच बच्चों की जिम्मेदारी और सीमित संसाधनों के कारण उनका जीवन–यापन बेहद संघर्षपूर्ण हो गया था। बच्चों का भरण–पोषण के लिए उन्हें दूसरों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी।

इसी दौरान मिंता देवी कृष्णा जीविका स्वयं सहायता समूह और एकता जीविका महिला ग्राम संगठन से जुड़ीं। समूह की दीदियों से उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना की जानकारी मिली, जिससे उनके भीतर एक नई उम्मीद जगी। गाँव में हुए सर्वेक्षण के बाद उनका चयन इस योजना अंतर्गत किया गया।

योजना के तहत उन्हें विशेष निवेश निधि से 10 हजार रुपये, 7 माह तक खाद्यान्न हेतु जीविकोपार्जन अन्तराल सहायता राशि के रूप में 7 हजार रुपये तथा दुकान के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि से 20 हजार रुपये की परिसंपत्ति मिली, जिससे उन्होंने एक किराना दुकान की शुरुआत की। शुरुआती दौर में दुकान में दैनिक बिक्री लगभग 600 रुपये होती थी।

योजना के तहत मिले द्वितीय किस्त के 18 हजार रुपये से उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदा। इसके बाद तृतीय किस्त के तहत गौपालन गतिविधि के लिए 45 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिली, जिससे उन्होंने एक गाय खरीदी। गाय से प्रतिदिन लगभग 8 लीटर दूध प्राप्त होता है, जिसमें से 6 लीटर बेचकर वह नियमित आय को बढ़ा रही है।

अब मिंता देवी की मासिक आय लगभग 7 से 8 हजार रुपये है और उनकी कुल परिसंपत्ति करीब लाख रुपये से भी अधिक हो गयी है। दुकान, कृषि कार्य और पशुपालन जैसी गतिविधियों से उनका परिवार आज आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मनिर्भर बनीं ममता देवी

ममता देवी, खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत इचरूआ पंचायत के कामाथान गाँव की रहने वाली है। संघर्ष,साहस और स्वावलंबन की मिसाल बनी ममता दीदी की कहानी अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। ताड़ी और शराब के अत्यधिक सेवन के कारण ममता दीदी के पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिवार में आय का कोई अन्य साधन नहीं था और सात छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ममता दीदी के कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। पति की बीमारी का समय पर इलाज कराना भी उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इन सब कठिनाइयों के बीच ममता दीदी जो कि स्वयं दिव्यांग हैं, उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके।

शारीरिक असमर्थता के बावजूद ममता दीदी ने छोटे–मोटे काम कर किसी तरह अपने परिवार का पालन–पोषण किया। उनका जीवन अभाव और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे कठिन समय में सतत् जीविकोपार्जन योजना उनके जीवन में नई उम्मीद बनकर आई।

योजना के अंतर्गत ममता दीदी का चयन इस योजना अंतर्गत किया गया और जीविकोपार्जन संबर्धन हेतु ग्राम संगठन द्वारा 20 हजार रुपये की परिसंपत्ति जैसे कपड़े धोने और इस्त्री करने से संबंधित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया गया। जिससे उन्होंने घर पर ही लौंड्री का कार्य शुरू की। इस कार्य से उन्हें नियमित आमदनी होने लगी और धीरे–धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।

काम की बढ़ती मांग और शारीरिक मेहनत को कम करने के लिए ममता दीदी ने वॉशिंग मशीन लेने की इच्छा जताई, जिसे ग्राम संगठन द्वारा उपलब्ध कराया गया। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी और आय में भी वृद्धि हुई। आगे चलकर उन्होंने सिलाई कार्य का प्रशिक्षण भी लिया और अपनी बचत से सिलाई मशीन खरीदी।

आज वह सिलाई, कढ़ाई और कपड़ों की मरम्मत का कार्य भी कर रही हैं। ममता दीदी की कहानी यह दर्शाती है कि सही सहयोग और दृढ़ आत्मविश्वास से हर चुनौती पर विजय पाया जा सकता है।

मंजरी बेगम : स्वरोजगार से प्रगति के पथ पर

किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड की रहने वाली मंजरी बेगम दीदी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ लेकर जेनरल स्टोर की दुकान शुरू की और अपने जीवन को नई दिशा दी है। इस दुकान से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी हो रही है, जिससे घर की दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी कर रही हैं। दुकान से होने वाली आय ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिसके बाद उन्होंने बकरी पालन और भैंस पालन का कार्य भी शुरू किया। आज दुकान और पशुपालन, दोनों से उन्हें नियमित आमदनी हो रही है और स्वरोजगार के रूप में आय का एक स्थायी साधन विकसित हो गया है।

मंजरी बेगम बताती है की पति के असमय निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। उन्हें काम के लिए दुसरे के घरों में मजदूरी करना परता था। वह चाहती थीं कि कोई ऐसा काम शुरू करें, जिससे आय का नियमित स्रोत बन सके। इसी दौरान वह जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उनका क्षमतावर्धन हुआ और उन्हें ऋण, बचत तथा बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत प्राप्त 37 हजार रुपये की सहायता से वह अपना व्यवसाय शुरू की। मंजरी बेगम बताती हैं कि उन्हें अब काम की तलाश में दर–दर भटकना नहीं पड़ता। दुकान की कमाई से वह अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही हैं। एक बेटे को लखनऊ में रखकर उच्च शिक्षा भी दिला रही हैं, जबकि एक बेटा और बेटी गाँव में ही पढ़ाई कर रहे हैं। आज वह आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी रही हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति

कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड अंतर्गत चित्तौड़िया पंचायत के जयनगर गांव की निवासी सझली बास्की सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली सझली बास्की का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके माता–पिता मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करते थे। सीमित संसाधनों के कारण सझली बास्की केवल हस्ताक्षर तक ही साक्षर थीं और निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गयी थी। शादी के बाद भी परिस्थितियाँ नहीं बदलीं। वह एक गृहणी के रूप में पति के साथ मजदूरी पर निर्भर रहीं। स्वरोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं था। भोजन, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाएँ अनिश्चित थीं। कम उम्र में विवाह होने के कारण उनके कई सपने अधूरे रह गए। इस बीच वर्ष 2014 में सामुदायिक प्रयासों के तहत उन्हें मुस्कान जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। प्रारंभ में आस–पास की दीदियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें समूह से जुड़ने के लाभ, बचत, ऋण और आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को समझाया।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद सझली बास्की के जीवन में धीरे–धीरे बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी की और वित्तीय अनुशासन को समझा। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और वह भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने लगीं। इसी दौरान एक बड़ा झटका तब लगा, जब उनके पति का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ पूरी तरह अकेली पड़ गई और एक बार फिर गरीबी का खतरा सामने आ गया।

इस स्थिति को देखते हुए क्रांति जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि सझली बास्की को बिहार सरकार की सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जाए। योजना में चयन के बाद उन्हें चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। पहले चरण में विशेष निवेश निधि के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि मिली, जिससे उन्होंने गुमटी खरीदी। दूसरे चरण में जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20,000 रुपये की परिसंपत्ति प्राप्त हुई। साथ ही जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रूप में सात माह तक प्रति माह 1,000 रुपये के हिसाब से कुल 7,000 रुपये मिले, जिससे भोजन और घरेलू खर्चों में सहारा मिला।

इन सहयोगों से सझली बास्की की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। दुकान से नियमित आय होने लगी, जिससे वह अपने और अपने बेटे के दैनिक खर्चों को पूरा करने लगीं। उन्होंने दुकान की आय से एक भैंस खरीदी और पशुपालन की भी शुरुआत की है। साथ ही खेती कार्य भी शुरू किया, जिससे उनकी आय के स्रोत और मजबूत हुए। आज वह पहले की तुलना में सुरक्षित जीवन जी रही हैं।

सझली बास्की की उन्नति के प्रमुख कारक रहे स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव, समय पर ऋण एवं निवेश सहायता, अंतराल सहायता राशि और सामुदायिक समर्थन। समूह से जुड़ने के बाद उनकी पारिवारिक भूमिका में भी बड़ा परिवर्तन आया। अब वह स्वयं निर्णय लेती हैं, बच्चे की पढ़ाई, खर्च की प्राथमिकता, भविष्य की योजना निर्माण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े फैसले वह खुद करती हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक सशक्तीकरण का भी सशक्त माध्यम है। सही समय पर सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन से एक अत्यंत निर्धन महिला भी आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज का भविष्य बदल सकती है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार